

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:—863 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:— 18-07-23

प्रेषित,

RAKESH KUMAR JHA

S/O-RAGHU NATH JHA, VILL-H NO-128 NAYATOLA, SPEAKER CHOWK, DIST-
MUZAFFARPUR, PIN COD-

विषय:— आपके वाहन संख्या BR31P1151 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश 698 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated है एवं आपके द्वारा परमिट निलंबन के बावजूद अपने वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
RAKESH KUMAR JHA	BR31P 1151	BR2021-SC-2892A	BR86482305041 40311	45050	2000	Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

18/07/23

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-862 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 18-07-23

प्रेषित,

Ms Alok Travels

I/C ALOK KUMAR SINGH, NH 77 KOLHUA DADAR, NEW ZERO MILE AHIYAPUR, DIST- MUZAFFARPUR, PIN COD-842001

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD9016 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश 645 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated है एवं आपके द्वारा परमिट निलंबन के बावजूद अपने वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ms Alok Travels	BR06PD9016	020/2019	BR58678230504 111511	45050	10000	Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

18/07/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:—861 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:— 18-07-23

प्रेषित,

Birendra Pd Yadav

S/O-PANCHHI LAL YADAV, VILL-AGARPUR PO-LALGANJ, DIST-VAISHALI, PIN COD-843114,

विषय:— आपके वाहन संख्या BR06PC6625 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liabilty प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश 640 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated है एवं आपके द्वारा परमिट निलंबन के बावजूद अपने वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Birendra Pd Yadav	BR06P C6625	BR2022-SC-0914A	BR58678230504 121377	45050	10000	Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

18/07/23

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-860 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 18-07-23

प्रेषित,

Mahip Kumar

S/O-LT RAM NARAYAN SINGH, AT+PO-MAHAMDPUR, PS-DAMODAR SAKRA, DIST-MUZAFFARPUR, PIN COD-801245

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD9311 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश 627 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated है एवं आपके द्वारा परमिट निलंबन के बावजूद अपने वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Mahip Kumar	BR06PD9311	0561/2019	BR58720230502013220	45048	10000	Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

18/07/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:—859/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:— 18-07-23

प्रेषित,

Kunal

S/O-JAI PRAKASH PANDEY, VILL-HARDIYAN, ARERAJ E-CHAMPARAN DIST-PURBA
CHAMPARAN, PIN COD-

विषय:— आपके वाहन संख्या BR06P3470 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश 593 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated है एवं आपके द्वारा परमिट निलंबन के बावजूद अपने वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Kunal	BR06P3470	BR/106/S C/BUS/2 019/61	BR58720230502 040959	45048	5000	Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

18/07/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:—858 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:— 18-07-23

प्रेषित,

Mr Manoj Kumar Ray

S/O-SHIV DAYAL RAY, VILL-ADD-MAHUA RAM RAY, DIST-VAISHALI, 844122

विषय:— आपके वाहन संख्या BR06PF1052 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liabilty प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश 526 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated है एवं आपके द्वारा परमिट निलंबन के बावजूद अपने वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Mr Manoj Kumar Ray	BR06P F1052	BR2021-SC-1014A	BR58720230503 051036	45049	10000	Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

18/07/23

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-857 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 18-07-23

प्रेषित,

Ambica Travels (Chandra kala devi)

W/O- LT JAMUNA SINGH, VILL-AT-NAYA TOLA PS-SHYAMPUR BHATTA DIST-SHEOHAR, PIN COD-443329

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR006PA6972** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश 511 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated है एवं आपके द्वारा परमिट निलंबन के बावजूद अपने वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ambica Travels (Chandra kala devi)	BR006 PA697 2	BR2022- SC- 2398A	BR58720230504 010108	45050	5000	Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

18/07/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-856 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 18-07-23

प्रेषित,

Mina Devi

W/O-LALJEE SAHNI, VILL-KANSI SIMRI, DIST-DARBHANGA PIN COOD-841232

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P5371 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liabilty प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश 509 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated है एवं आपके द्वारा परमिट निलंबन के बावजूद अपने वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Mina Devi	BR06P5371	NA	BR8720230504140124	45050	4500	Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

18/07/23

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-864 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Manoj Krjha


S/O- LALITESHWAR JHA, VILL-ANDAOULI BAHERA, DIST-DARBHANGA, PIN COD-847201

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA0886 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं0-510 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Manoj Krjha	BR06PA0886	NA	BR58720 2305040 11113	5/4/2023	5000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-865 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Prikshan Yadav


S/O-DEVNARAYAN YADAV, VILL-GADHIYA KHUTAUNA, DIST-MADHUBANI, PIN COD-847211

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD9330 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-512 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Prikshan Yadav	BR06PD9330	BR2023-SC-0846A	BR58720230504125311	5/4/2023	12000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-866 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Shaban Ahmad


S/O-VALI AMHAD, SHABHAN DIH PO-LAL SAHPUR, PS-SIMRI, DIST-DARBHANGA, PIN COD-843119

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA4405 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-516 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Shaban Ahmad	BR06PA4405	NA	BR58720 2305041 14713	5/4/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-867 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Birendra Pd Yadav


S/O-PANCHHI LAL YADAV, VILL-LALGANJ, AGARPUR, DIST-
VAISHALI, PIN COD-844121,

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD8687 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं0-518 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Birendra Pd Yadav	BR06PD8687	BR2022-SC-0183A	BR58720230504114005	5/4/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-868 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Mukesh Bhagat


S/O-BHOLA BHAGAT, VILL-SARBARPUR FATEHPUR KHAJEPUR,
SARWARPUR, DIST-SHEOHAR, PIN COD-843128

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF1584 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-523 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Mukesh Bhagat	BR06PF1584	BR2021-SC-8280A	BR58720230503052457	5/3/2023	12000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-869 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Bhuneshwar Pdsingh


S/O-LT BABU NR SINGH, VILL-MAIN ROAD RAXAUL, E
CHAMPARAN, DIST-PURBA CHAMPARAN, PIN COD-842001

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P1821** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-527 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Bhuneshwar Pdsingh	BR06P1821	BR2021-SC-1013A	BR58720 2305030 50748	5/3/2023	7000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-870 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Shivshankar Baithammgpy


S/O-CHAUBEY BAITHA, VILL-BALUA WARD NO-07 DUMRA,
MAHINDWARA, SITAMARHI, PIN COD-843316

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF1026** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-529 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Shivshankar Baithammgpy	BR06PF1026	BR2021-SC-6374A	BR58720230503045791	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टार्डम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-871 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Sanjiv Kumar Singh


S/O-YAMUNA SINGH, VILL-59. VILL-MUZAFFARPUR, ANCHAL-MUSHAHARI, DIST-MUZAFFARPUR, PIN COD-

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA1601 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-530 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Sanjiv Kumar Singh	BR06PA1601	NA	BR58720 2305030 45561	5/3/2023	15500	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-872 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Ms Anand Travels


S/O-PROP ANAND KR SINGH, VILL-KOLHUA DADAR, AHİYAPUR
DIST-MUZAFFARPUR, 842001,

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P3616 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं0-531 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ms Anand Travels	BR06P3616	BR/106/7 03/2009	BR58720 2305030 45291	5/3/2023	66040	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-873 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Shyam Sundar Kumar


S/O-RAMJATAN SAH, WARD NO 08 ISLAMPUR, BHAGWANPUR
PIPRAHI, RIGA DIST-SITAMARHI, PIN COD-843302

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF0758** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-532 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Shyam Sundar Kumar	BR06PF0758	BR2021-CC-5601A	BR58720230503040817	5/3/2023	15000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-874 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Chandan Kumar Singh


S/O-BHUNESHWAR PRASAD SINGH, VILL-MAIN ROAD RAXAUL,
MAHADEVA MARKET NEAR BATA SHOW ROOD RAXAUL DIST-PURBA
CHAMPRAN PIN COD-845305

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3654** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liabilty प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-533 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Chandan Kumar Singh	BR06P3654	BR2021-SC-0497A	BR58720 2305030 40618	5/3/2023	7000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-875 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Husna Ara


S/O-MUNNA ANSARI, VILL-ADD WARD NO-19 BANGRA SUGAULI
DIST- PURBA CHAMPARAN PIN COD-845456

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE7329** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं0-534 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Husna Ara	BR06PE7329	BR2021-SC-0332A	BR58720230503030629	5/3/2023	2000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-876 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Abhishek Kumarmmgpy

S/O-RAGHUVIR MANDAL, TARIYANI CHHAPRA, DIST-SHEOHAR,


PIN COD-843316,

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF0626** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-537 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Abhishek Kumarmmgpy	BR06PF0626	BR2021-CC-1801A	BR58720 2305030 24484	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-877 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Pappu Das

S/O-CHHOTE LAL DAS, MATIYAR KHURD, WARD NO-22


MATIYARKALA DIST-SITAMARHI, PIN COD-843317,

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF0421 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं0-538 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Pappu Das	BR06PF0421	BR2021-CC-0593A	BR58720230503022599	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-878 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Sanjiv Kumar Mishra

S/O-UMASHANKAR MISHRA, VILL-HARPUR WARD NO-14,


KANHAULI GAJPATTI, PIPRAHI, PIN COD-843302,

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE9435** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-540 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Sanjiv Kumar Mishra	BR06PE9435	BR2020-CC-8344B	BR58720230503021714	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-879 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Nageshwar Ram Mmgpy


S/O-NATHUNI RAM, SUHAIGARH GIDDHA PHULWARIYA,
RUNNISAIDPUR, DIST-SITAMARHI, PIN COD-843328

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE9131** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-541 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Nageshwar Ram Mmgpy	BR06PE9131	BR2020-SC-8338B	BR58720230503021611	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-880 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Yogendra Paswan


S/O-SUKHDEO PASWAN, VILL-MARAUL, SAKRA, DIST-
MUZAFFARPUR, PIN COD-

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA0939 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-542 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Yogendra Paswan	BR06PA0939	082/2011	BR58720 2305030 20660	5/3/2023	67704	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-881 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Kiran Shukla


S/O-LT LT K SHUKLA, VILL-SPEAKAR CHAUK N. TOLA,
KAZIMDPUR DIST-MUZAFFARPUR, PIN COD-

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA5551 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-543 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Kiran Shukla	BR06PA5551	BR2020-SC-0516A	BR58720230503015952	5/3/2023	82312	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-882 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Jitendra Kumar Singh


S/O-RAMNARESH SINGH, VILL- AT-CHINTAMANPUR, ANCHAL-
CAHAKIA, E-CHAMPARAN, DIST-PURBA CHAMPARAN, PIN COD-

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD4240 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-544 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Jitendra Kumar Singh	BR06PD4240	BR2020-SC-0484A	BR58720 2305030 14803	5/3/2023	78224	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-883 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Vikash Kumar


S/O-JALANDHAR SINGH, VILL-BATRAULIYA, BAKRA SARAIYA,
DIST-MUZAFFARPUR, PIN COD-843101,

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE6436 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-545 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Vikash Kumar	BR06PE6436	BR2020-SC-0329A	BR58720230503014655	5/3/2023	22824	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-884 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Md Jahogir Alam

S/O-ADD-WARD 06 MEHSAULI RAMPUR, DIST-SITAMARHI PIN


COD-843302

विषय:- आपके वाहन संख्या BR30PA2933 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं0-548 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Md Jahogir Alam	BR30PA2933	BR2020-SC-0398A	BR58720230503123463	5/3/2023	10000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-885 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Om Prakash Singh


S/O-LT BRAHAMDEV SINGH, VILL-CHAKDAK PACHDAHI, PO-
MAJHAULI PACHDAHI PS-SAKRA, MUZAFFARPUR, PIN COD-

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA3370 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-549 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Om Prakash Singh	BR06PA3370	NA	BR58720 2305031 22645	5/3/2023	15000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-886 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Shanti Devi


W/O-KAMESHWAR SINGH, VILL-BATROULI PS-SARAIYA, DIST-MUZAFFARPUR, PIN COD-

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD5283 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं0-550 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Shanti Devi	BR06PD5283	BR2020-SC-0342A	BR58720230503122349	5/3/2023	2000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-887 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Ram Dinesh Singh


S/O-LT CHANDESHWAR SINGH, VILL-PO-CHAHUTA, PS-AURAI,
DIST-MUZAFFARPUR, PIN COD-

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PC8746** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-551 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ram Dinesh Singh	BR06PC8746	BR2020-SC-0328A	BR58720230503121532	5/3/2023	10000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-888 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Vinod Mishra


S/O-UMAKANT MISHRA, VILL-BALUA CHOWK, MITIHARI DIST-E
CHAMPARAN, PIN COD-

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P6825** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं0-552 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Vinod Mishra	BR06P6825	BR2020-SC-0333A	BR58720 2305031 21415	5/3/2023	68024	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-889 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Rani Devi


W/O-RAM DINESH SINGH, AT-PO-CHAUTA PS-AAURAI, DIST-MUZAFFARPUR, PIN COD-842001,

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC8740 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं0-553 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Rani Devi	BR06PC8740	BR2020-SC-0327A	BR58720230503121238	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-890 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Manhar Kr Chaoudhary


S/O-ARUN KR CHAOU DHARY, VILL-MADHUBAN PO-KALWARI, PS-KANTI, DIST-MUZAFFARPUR, PIN COD-

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA3160 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-556 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Manhar Kr Chaoudhary	BR06PA3160	NA	BR58720 2305031 20835	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-891 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Ram Dinesh Singh


S/O-CHANDESHWAR SINGH, VILL-WORD 10 CHIHUTA, DIST-
MUZAFFARPUR, PIN COD-843312,

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE7930** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-557 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ram Dinesh Singh	BR06PE7930	BR2020-SC-0313A	BR58720230503120771	5/3/2023	10000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-892 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Sanjay Ram Mmgpy


S/O-MAHENDRA RAM, VILL-TARIYANI, CHHAPRA, WARD NO-15
CHHAPRA, DIST-SHEOHAR, PIN COD-843316

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE6002 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-558 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Sanjay Ram Mmgpy	BR06PE6002	BR2020-CC-8404A	BR58720230503120560	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-893 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Ashok Kumar Ray


S/O-DAMODAR RAY, H NO-119, AT-SISVA BHUMIHAR, ANCHAL-YOGAPATTI, BETTIAH, PASHCIM CHAMPARAN, PIN COD-845438,

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P5073** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-559 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ashok Kumar Ray	BR22P5073	BR2020-SC-0280A	BR58720 2305031 20381	5/3/2023	74600	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-894 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Fanindar Nath Singh


S/O-LT-RAM LAGAN SINGH, VILL-AT-MACHCHHARGAWAN
BAZAR, PS-YOGAPATTI, BETTIAH, DIST-PASCHIM CHAMPARAN, PIN COD-
845438

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P0712** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liabilty प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-560 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Fanindar Nath Singh	BR22P0712	BR2020-SC-0279A	BR58720 2305031 20340	5/3/2023	55984	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-895 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Ram Vilas Sah


S/O-SANICHAR SAH, VILL-KASTURI SRAI, PATEPUR, DIST-
VAISHALI, PIN COD-844101,

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P7929 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-562 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ram Vilas Sah	BR06P7929	BR2020-SC-0295A	BR58720 2305031 16013	5/3/2023	2000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-896 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Shiv Kumar Soni


S/O-SARYUG SAH, VILL- WARD NO-18 GANDHI NAGAR, BAGAHA
DIST-PASHCHIM CHAMPARAN, PIN COD-845101

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE4396 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-563 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Shiv Kumar Soni	BR06PE4396	BR2020-SC-0276A	BR58720230503115747	5/3/2023	38752	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-897 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Surendra Pd


S/O-LT-JANKI SARAN, VILL-PARASH NAGAR BAGAH-1 DIST- W
CHAMPARAN, PIN COD-

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PB8667** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-565 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Surendra Pd	BR06PB866 7	BR2020- SC- 0262A	BR58720 2305031 14794	5/3/2023	64928	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-898 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Vikash Kumar


S/O-SURENDRA PRASAD, VILL-BAGHAGHA, BETTIAH, DIST-W
CHAMPARAN, PIN COD-

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P8632** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-566 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Vikash Kumar	BR06P8632	BR2020-SC-0263A	BR58720 2305031 14551	5/3/2023	63072	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-899 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Md Ashraf


S/O-MD SAHEB JAN, VILL-GARHA PURI, WARD NO-13 GARHA,
PUPRI, DIST-SITAMARHI, PIN COD-843320

विषय:- आपके वाहन संख्या BR30PA2511 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-568 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Md Ashraf	BR30PA2511	BR2020-SC-7278A	BR58720230503113942	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-900 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Rashami


W/O-CHANDRA DAS, AT-AHIYAPUR NEW ZERO MILE AHIYAPUR,
DIST-MUZAFFARPUR, PIN COD-842001,

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA2630 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-569 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Rashami	BR06PA2630	692/2009	BR58720 2305031 13750	5/3/2023	12000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-901 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Suchita Chaudhary


S/O-RADHE SHYAM CHAUDHARY, VILL-URMILA APPT F NO-103,
ROAD NO-2 RAJ BANSI NAGAR, DIST-PATNA, PIN COD-800023,

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR01PJ9595** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-570 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Suchita Chaudhary	BR01PJ9595	BR2020-SC-0146A	BR58720 2305031 13556	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-902 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Mukesh Kumar


S/O-LT PERMANAND MAHTO AT+PO-KARHATIYA BUZURG, PS-GORAUL, DIST-VAISHALI, PIN COD-

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31P5809** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-571 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Mukesh Kumar	BR31P5809	BR2020-SC-0084A	BR58720 2305031 13308	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-903 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Dulari Devi


W/O-RAM NARESH SINGH, AT-CHINTAMANPUR, PS-PIPRA, EAST
CHAMPARAN, DIST-SARAN PIN COD-841301,

विषय:- आपके वाहन संख्या BR04M3051 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-573 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Dulari Devi	BR04M3051	BR2020-SC-0079A	BR58720 2305031 13055	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-904 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Iliyas Ansari

S/O-JHINGUR ANSARI, VILL-MUKHIYAPATTI, W NO-01


SAHARGHAT, DIST-MADHUBANI, PIN COD-847308,

विषय:- आपके वाहन संख्या BR30PA2804 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-574 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Iliyas Ansari	BR30PA2804	BR2020-CC-2029A	BR58720230503112873	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-905 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Sunil Mahto


S/O-MANCHIT MAHTO, VILL-KHAIRA PAHARI, DOSTIYA WORD
NO-05 SONAUL SULTAN PURNAHIYA, SHEOHAR, PIN COD-843334,

विषय:- आपके वाहन संख्या BR30PA2941 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-576 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Sunil Mahto	BR30PA2941	BR2020-CC-1715A	BR58720230503112790	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-906 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Shri Ram Ray


S/O-BILAT RAY, VILL- BHUTHA, MEGHAPUR, PUPRI, DIST-SITAMARHI, PIN COD-843331,

विषय:- आपके वाहन संख्या BR30PA2775 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-577 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Shri Ram Ray	BR30PA2775	BR2020-SC-1718A	BR58720230503112720	5/3/2023	12000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-907 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Sanjiv Singh


S/O-MEHESHWAR SINGH, VILL-KADARABANA WORD NO-07,
BANGRAHA SURSAND, SITAMARHI-PIN COD-843331,

विषय:- आपके वाहन संख्या BR30PA2379 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं0-578 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Sanjiv Singh	BR30PA2379	BR2020-CC-1717A	BR58720230503112637	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-908 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Sumit Kumar Mishra

S/O-ARVIND MISHRA, VILL-ASOGI CHHAPRA WORD NO 05


BEDAUL BAJ, PARNAHIYA, DIST-SHEOHAR, PIN COD-843334,

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PE6793 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-579 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Sumit Kumar Mishra	BR06PE6793	BR2020-CC-1719A	BR58720230503112462	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-909 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Rakesh Kumar


S/O-MAHESHWAR RAI, VILL-GANGADHARA PUR TARIYANI, DIST-SHEOHAR, PIN COD-

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3162** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-581 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Rakesh Kumar	BR06P3162	BR2020-SC-0034A	BR58720 2305031 12218	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-910 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Abhishek Ranjan

S/O-DINESH PASWAN, VILL-SAIDPUR WARD NO-07


NARKATIAGANJ, CHAMUA, DIST-PASHCHIM CHAMPARAN, PIN COD-845455,

विषय:- आपके वाहन संख्या BR22PA3582 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-582 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Abhishek Ranjan	BR22PA3582	BR2020-CC-0330A	BR58720230503111998	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-911 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Amirul Ansari


S/O-REYAJUL MIYAN, DUBAULIYA, KURWA MATHIA, DIST-PASHCHIM CHAMPARAN PIN COD-845450,

विषय:- आपके वाहन संख्या BR22PA3580 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-583 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Amirul Ansari	BR22PA3580	BR2020-CC-0332A	BR58720230503111935	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-912 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Smtneelam Devi

W/O-KAMALANT SINGH, VILL-DAMUCHAK RAIL.L


KAZIMAHMADPUR, DIST-MUZAFFARPUR, PIN COD-842001,

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06D5891** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-586 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Smtneelam Devi	BR06D5891	PERMIT & R C CANCEL LED	BR58720 2305031 11536	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-913 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Awadhesh Kumar Tiwari


S/O-SHREEKANT TIWARI, VILL-CHARARAHIIYA, HARSIDHI, E
CHAMPARAN, PIN COD-845401,

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA5141 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-587 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Awadhesh Kumar Tiwari	BR05PA5141	BR2023-SC-1677A	BR58720230503111387	5/3/2023	2000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-914 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Nand Kishore Rai


S/O-SARYUG RAI, VILL-BELA GOPI, PS-GAYGHAT, DIST-
MUZAFFARPUR, PIN COD-

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA2736 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं0-588 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Nand Kishore Rai	BR06PA2736	NA	BR58720 2305031 10955	5/3/2023	5000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-915 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Lal Kumar

S/O-SUTAI YADAV, VILL-PATAR TARAIYA WARD NO-09


SAHARGHAT, TARAIYA WARD NO 09 SAHARGHAT, DIST-MADHUBANI, PIN
COD-847102

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30PA2736** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-589 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Lal Kumar	BR30PA2736	BR/106/C C/MCP3/ 2019/416 4	BR58720 2305031 10596	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-916 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Prabhunath Kumar Sahmmgpy

S/O-RAM VINAY SAH, VILL-SINGHWAHINI WARD NO-04


SONBARSA, DIST-SITAMARHI, PIN COD-843317,

विषय:- आपके वाहन संख्या BR30PA1618 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liabilty प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-590 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Prabhunath Kumar Sahmmgpy	BR30PA1618	BR/106/C/MCP3/2019/4165	BR58720230503110538	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-917 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Jawahar Prasad


S/O-BARAHAMDE PRASAD, VILL-KUSHAVANSHI NAGAR WARD
NO 03 DHAKA, DIST-PURBA CHAMPARAN PIN COD-845304

विषय:- आपके वाहन संख्या BR30PA1315 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-591 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Jawahar Prasad	BR30PA1315	BR/106/C C/MCP3/ 2019/416 3	BR58720 2305031 10437	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-918 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Lal Bahadur Singh


S/O-LT RAMESHWAR SINGH, VILL-BAHSNTPUR JHITAKANHI PO-DOLHI, DIST-MUZAFFARPUR PIN COD-842001

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PB7476** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-592 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Lal Bahadur Singh	BR06PB7476	BR/106/S C/BUS/2 019/97	BR58720 2305031 10133	5/3/2023	2000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-919 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Ramashre Sah

S/O-KISHUNI SAH, VILL-MAUDAH RIGA DIST-SITAMARHI, PIN


COD-843327

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR55P0282** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं0-595 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ramashre Sah	BR55P0282	BR/106/C C/MCP3/ 2019/392 9A	BR58720 2305020 40210	5/2/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-920 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Shahanaj Khatun


W/O-AJIM VILL-AT-TALHAPUR DUMRA, ANCHAL-DUMRA DIST-SMI PIN COD-

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30P8825** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-596 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Shahanaj Khatun	BR30P8825	BR/106/S C/MCP3/ 2019/391 7	BR58720 2305020 40095	5/2/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-921 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Md Jahangir Alam

S/O-MD USMAN, VILL-MEHAUL GOT STM DIST-SITAMARHI, PIN


COD-843302

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30P1006** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-597 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Md Jahangir Alam	BR30P1006	BR/106/S C/BUS/2 019/32	BR58720 2305020 35896	5/2/2023	10000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-922 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Mithlesh Singh


S/O-LT KAILSH SINGH, H NO-113/11 VILL-RASALPUR PO-
RASALPUR, DIST-SITAMARHI, PIN COD-

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA6081 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-618 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Mithlesh Singh	BR06PA608 1	0547/201 9	BR58720 2305020 23445	5/2/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-923 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Nirbhay Tiwari


S/O-PARAS TIWARI, VILL-BHALUAHI, PS-SIKARGANJ, DIST-MOTIHARI, PIN COD-84524

विषय:- आपके वाहन संख्या BR05PA2983 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-624 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Nirbhay Tiwari	BR05PA2983	NA	BR58720 2305020 20457	5/2/2023	12000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-924 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Brahmdeo Verma


S/O-LT UGRA MOHAN DAS, VILL+PO-BHAGWANPUR, DIST-
MUZAFFARPUR, PIN COD-842001

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC0786 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-628 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Brahmdeo Verma	BR06PC0786	0291/2019	BR58720230502011288	5/2/2023	72410	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-925 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Lal Bahadur Singh


S/O-LT RAMESHWAR SINGH, VILL-BASANTPUR PO-JHITKAHIYA
DHOLI DIST-MUZAFFARPUR PIN COD-842001

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PB3899** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-629 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Lal Bahadur Singh	BR06PB3899	571/2019	BR58720 2305020 10707	5/2/2023	7000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-926 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Pranay Kr Thakur


S/O-KRISHAN NANDAN THAKUR, VILL-SAHBAJPUR PO-BHIKHANPUR, DIST-MUZAFFARPUR, PIN COD-842001,

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06GC9601 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-630 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Pranay Kr Thakur	BR06GC9601	302/2019	BR58720 2305021 25032	5/2/2023	12372 8	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-927 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Amitesh Kumar Pandey


S/O-JAYPRAKASH PANDEY, VILL-AT-HARDIYA, ARERAJ, EAST
CHAMPARAN, ARERAJ, DIST-PURBA CHAMPARAN, PIN COD-845411,

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05PB1161** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-632 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Amitesh Kumar Pandey	BR05PB1161	521/2019	BR58720 2305021 23989	5/2/2023	61826	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-928 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Shyam Prasad


S/O-LT G S PRASAD, VILL-FUNNY CHATTERJEE LANE, JAWAHAR,
ROAD MUZAFFARPUR, DIST-MUZAFFARPUR, PIN COD-842001

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA6651 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-633 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Shyam Prasad	BR06PA6651	018/2019	BR86782 3050416 3353	5/4/2023	95760	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-929 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Santosh Mahto


S/O-SAKDEV MAHTO, VILL- BISHUNDATPUR, PATAHI KANTI,
DIST-MUZAFFARPUR, PIN COD-843113,

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE2497** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-635 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Santosh Mahto	BR06PE2497	NA	BR58678 2305040 12479	5/4/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-930 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Istikhar Ahmad


S/O-KAMRU JAMA, VILL-WARD NO 07 VILL-PO-BELA, PS-RAMGARHWA, DIST-PURBA CHAMPARAN, PIN COD-845433

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PC6126 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-639 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Istikhar Ahmad	BR06PC6126	BR2022-SC-1049A	BR58678230504122663	5/4/2023	2000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-931 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Vinod Singh


S/O-JAGEESH NARAYAN SINGH, VILL-WARD NO-01 DUAULIYA,
SENDURIA, WEST CHAMPARAN, DIST-PASCHIM CHAMPARAN, PIN COD-
845454

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P9512** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-643 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Vinod Singh	BR06P9512	BR2022-SC-0152A	BR58678 2305041 13674	5/4/2023	7000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-932 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Nibha Devi


W/O-BRAJ MOHAN TIWARI, VILL-DHIRAN CHHAPRA R K ASHRAM,
MUZAFFARPUR, PIN COD-

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PA4755 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं0-646 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Nibha Devi	BR06PA4755	0163/2019	BR8677230504162152	5/4/2023	73808	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-933 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Suman Singh


S/O-BAIDYA NATH SINGH, VILL-PURAN CHHAPRA PS-CHAKIA,
DIST-E.CHAMPARAN, PIN COD-

विषय:- आपके वाहन संख्या JH20A2416 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-647 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Suman Singh	JH20A2416	NA	BR86772 3050414 2503	5/4/2023	20500	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-934 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Pavan Kumar Ray


S/O-JATASHANKAR RAY, VILL-SIRISIYA BISHWASH,
CHANPATIYA, DIST-PASHCHIM CHAMPARAN, PIN COD-845450,

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P6227** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं0-648 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Pavan Kumar Ray	BR06P6227	BR2022-SC-1083A	BR86772 3050412 2433	5/4/2023	63992	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-935 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Vartika Singh


S/O-CHANDAN KUMAR SINGH, VILL-MAIN ROAD RAXAUL
MAHADEVA MARKET NEAR BATA SHOW ROOM RAXAUL, DIST-PURBA
CHAMPARAN, PIN COD-845305

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PA7217** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-649 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Vartika Singh	BR06PA7217	BR2022-SC-1053A	BR8677230504121938	5/4/2023	7000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-936 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Geeta Devi


S/O-SATRUDHAN THAKUR, VILL-MADHAUL KURHANI, DIST-MUZAFFARPUR, PIN COD-

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06P6040 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं0-654 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Geeta Devi	BR06P6040	NA	BR86772 3050410 4514	5/4/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-937 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Shivshankar Baithammgpy

S/O-CHAUBEY BAITHA, BALUA WARD NO-07 DUMRA,


MAHINDWARA DIST-SITAMARHI, PIN COD-843316,

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PF1026** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-655 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Shivshankar Baithammgpy	BR06PF1026	BR2021-SC-6374A	BR8677230503160514	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टार्डम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-938 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Md Tanvir Alam


S/O-MD AMIRUL HAQUE, VILL-CHIKANUTA MOHWARIYA, DIST-SHEOHAR, PIN COD-843329

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF0741 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-657 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Md Tanvir Alam	BR06PF0741	BR2021-SC-4469A	BR8677230503150804	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-939 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Amit Kumar


S/O-ABHIMANYU SINGH, VILL-WARD NO 5 TOLA CHHAWNI, DIST-PURBA CHAMPARAN, DIST-845438

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PD8262 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-658 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Amit Kumar	BR06PD8262	BR2021-SC-0240A	BR8677230503145421	5/3/2023	78840	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-940 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Islam Nadaf


S/O-ASHIN NADAF, VILL-WARD NO 07 MISHRAULIA, PAKTOLA
DUMRA, DIST-SITAMARHI, PIN COD-843302,

विषय:- आपके वाहन संख्या BR06PF0624 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-660 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Islam Nadaf	BR06PF0624	BR2021-CC-1752A	BR8677230503143418	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-941 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Jitendra Paswan Mmgpy


S/O-JAY KISHUN PASWAN, VILL-GAUSHNAGAR, RUNNISAIDPUR,
DIST-SITAMARHI, PIN COD-843117,

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE9661** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-661 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Jitendra Paswan Mmgpy	BR06PE9661	BR2020-CC-8336B	BR8677230503142453	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-942 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Lauhu Momin

S/O-AMIN MOMIN, VILL-KOILI SITAMARHI, DIST-SITAMARHI, PIN


COD-

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5211** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं0-662 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Lauhu Momin	BR06P5211	00115/2011	BR8677230503140748	5/3/2023	53072	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-943 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Md Arif Raza Mmgpy


S/O-MOTIUAR RAHMAN, VILL-KUMHRAR, GANGADARAMPUR,
TARIYANI CHHAPRA DIST-SHEOHAR, PIN COD-843128,

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE9105** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-663 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Md Arif Raza Mmgpy	BR06PE9105	BR2020-CC-2698B	BR8677230503140328	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-944 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Raju Paswan Mmgpy

S/O-VASHISTH PASWAN, VILL-NARWARA, WORD NO-10 TARIYANI


PIN COD 843328

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE9104** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं0-664 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Raju Paswan Mmgpy	BR06PE9104	BR2020-CC-2699B	BR8677230503135939	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-945 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Arjun Kumar Mmgpy


S/O-SURESH BAITHA, VILL-BELAHIYA WORD NO 07 TARIYANI
CHHAPRA, DIST-SHEOHAR, PIN COD-843316

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE9102** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liabilty प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-666 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Arjun Kumar Mmgpy	BR06PE9102	BR2020-CC-2692B	BR8677230503135226	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-946 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Babloo Thakur Mmgpy

S/O-UMESH THAKUR, ATHRI JAGADISH WORD NO 10


RUNNISAIDPUR, DIST-SITAMARHI, PIN COD-843311

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE8949** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liabilty प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-669 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Babloo Thakur Mmgpy	BR06PE8949	BR2020-CC-2696B	BR8677230503133910	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-947 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Chunchun Ram Mmgpy


S/O-PRADEEP RAM, VILL-WARD NO 12, TARIYANI CHHAPRA, DIST-SHEOHAR, PIN COD-843316,

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE8948** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-670 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Chunchun Ram Mmgpy	BR06PE8948	BR2020-CC-2691B	BR8677230503133455	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-948 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Randhir Kumar


S/O-SAHEB MANDAL, VILL-SIRSIYA WARD NO-02 TARIYANI
CHHAPRA, SHEOHAR, PIN COD-843316,

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE8947** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं0-671 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Randhir Kumar	BR06PE8947	BR2020-CC-2995B	BR8677230503133044	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-949 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Mukesh Kumar Mmgpy

S/O-VINOD MANDAL, VILL-TARIYANI CHHAPRA WARD NO 05


TARIYANI CHHAPRA, DIST-SHEOHAR, PIN COD-843316,

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE8946** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-672 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Mukesh Kumar Mmgpy	BR06PE8946	BR2020-CC-2694B	BR8677230503132508	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-950 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Ravi Kumar Paswan Mmgpy


S/O-PULINDAR PASWAN, VILL-TARIYANI CHHAPRA, WARD NO 12
TARIYANI CHHAPRA, DIST-SHEOHAR, 843316, PIN COD-843316

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06PE8945** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-673 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Ravi Kumar Paswan Mmgpy	BR06PE8945	BR2020-CC-2693B	BR8677230503130149	5/3/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-951 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Janki Sukla


W/O-LT AWDHESH KUMAR SUKLA, VILL-MOHAN PUR ROAD DIST-SAMASTIPUR, PIN COD-848101,

विषय:- आपके वाहन संख्या BR33P1001 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-674 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Janki Sukla	BR33P1001	003/2018	BR86772 3050214 5940	5/2/2023	17000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-952 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Naween Chandra


S/O-DIGMBAR PD SINGH, VILL-MAHAMADPUR, VILL-
MAHAMADPUR, PO-SONKI PS-SADAR, DIST-DARBHANGA, PIN COD-846009

विषय:- आपके वाहन संख्या BR30PA4351 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-676 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Naween Chandra	BR30PA4351	0454/2019	BR8677230502144558	5/2/2023	12000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-953 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

DILIP KUMAR SINGH


S/O-RAVINDRA SINGH, VILL-DHABDHABWA, PO-GAMAHRIYA
KHURD PS-ADAPUR, DIST-PURBA CHAMPARAN, PIN COD-845301

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05P5212** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-678 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
DILIP KUMAR SINGH	BR05P5212	BR2022-SC-1052A	BR86712 3050318 3457	5/3/2023	12000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-954 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,


DHIRENDRA KUMAR SINGH
S/O-YUGAL KISHOR SINGH, VILL-PARAS PAKAR,
CHANAINBANDH. WEST CHAMPARAN MAJHAULIA, DIST-PASHCHIM
CHAMPARAN, PIN COD-845454,

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05PB1780** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-681 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
DHIRENDRA KUMAR SINGH	BR05PB1780	BR2022-SC-1185A	BR8671230504092508	5/3/2023	103968	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-955 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

KUNAL


S/O-SRI JAI PRAKASH PANDEY, VILL-HARDIYA, PO-ARERAJ,
MOTIHARI, DIST-PURBA CHAMPARAN, PIN COD-845411

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05PA0906** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-682 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
KUNAL	BR05PA0906	BR2020-SC-0394A	BR8671230503190224	5/3/2023	77040	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-956 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

MADHASUDHAN PRASAD


S/O-RAJESHWAR PRASAD, VILL-137 TOWN BASVARIYA ANCHAL-BETTIAH, DIST-PASCHIM CHAMPARAN, DIST-845438

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P1809** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-683 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
MADHAS UDHAN PRASAD	BR22P1809	BR2022-SC-0793A	BR8610230503184525	3/5/2023	7000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-957 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

RAKESH KUMAR


S/O-RAMESHWAR PRASAD, VILL-CHAUDIHARWA PO-DHUMNAGAR, PIN COD-845438

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P7801** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-685 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
RAKESH KUMAR	BR22P7801	BR2022-SC-0352A	BR861023050318405	3/5/2023	63120	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-958 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

MITHILESH KUMAR


S/O-RAMASHRAY PRASAD, VILL+PO-DHUMNAGAR, CHAURIYA
TOLA, PS-JAGDISHPUR, BETTIAH, DIST-PASHCHIM CHAMPARAN, PIN COD-
845438

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P8337** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liabilty प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-686 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
MITHILES H KUMAR	BR22P8337	BR2021-SC-3168A	BR8610230503175250	3/5/2023	73120	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-959 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

SMT RITI KUMARI


W/O-SUDHANSHU KUMAR, VILL-PO-SARAI SAYED ALI LANE,
DIST-MUZAFFARPUR, PIN COD-842001

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR55A5575** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-692 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
SMT RITI KUMARI	BR55A5575	0259/201 9	BR87352 3051216 1615	5/12/2023	0	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-960 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

RAMASHRE SAH

S/O-KISHUNI SAH, VILL-MAUDAH RIGA DIST-SITAMARHI, PIN


COD-843327

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR55P0282** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-693 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
RAMASHRE SAH	BR55P0282	BR/106/C CMCP3/2 0193929	BR87352 3051215 5736	5/12/2023	0	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-961 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

MANMARDAN SHUKLA


S/O-LT RAM DAS SHUKLA, AT-NAYATOLA, SPEAKER CHOWK,
DIST-MUZAFFARPUR, PIN COD-

विषय:- आपके वाहन संख्या **BR31P2251** पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-696 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
MANMARDAN SHUKLA	BR31P2251	0119/2014	BR8740230504163050	5/4/2023	7000	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-962 / परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

RAJA RAY


S/O-SHIV NANDAN RAY, VILL-DAUDNAGAR, CHAKGADHO,
BIDUPUR, DIST-VAISHALI, PIN COD-844503,

विषय:- आपके वाहन संख्या BR31PA7935 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-697 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
RAJA RAY	BR31PA7935	BR2021-SC-1075A	BR8648230504142509	5/4/2023	64624	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:-963 /परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:-18/07/2023

प्रेषित,

Shyam Jaiswal


S/O-ANANDI PRASAD JAISWAL, VILL-BEDIBAN MADHUBAN, DAMODARPUR,
EAST-CHAMPARAN, DIST-PURBA CHAMPARAN PIN CODE-845416,

विषय:-आपके वाहन संख्या BR05PB0771 पर अधिरोपित जुर्माना जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कागजात अद्यतन नहीं रहने के कारण आपके वाहन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया, परंतु आपके द्वारा अब तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक 03.06.2023 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशन एवं कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया गया। m-parivhan App पर भी Online Tax Liability प्रदर्शित होने के बावजूद आपके द्वारा समन की राशि जमा नहीं किया गया। जिसके कारण इस कार्यालय के आदेश सं०-600 दिनांक 21.06.2023 द्वारा आपके वाहन का परमिट निलंबित करते हुए दिनांक 05.07.2023 तक अनिवार्य रूप से जुर्माना जमा करने का निदेश नोटिस के माध्यम से दिया गया परन्तु आपके द्वारा अबतक जुर्माना की राशि जमा नहीं किया गया है। विभाग से प्राप्त VLTD प्रतिवेदन के अनुसार आपके वाहन में VLTD Activated नहीं है।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	परमिट संख्या	चालान संख्या	चालान की तिथि	जुर्माना की राशि	अभ्युक्ति
Shyam Jaiswal	BR05PB0771	BR/106/SC/BU S/2019/05	BR5872023 0502035211	02-05-2023	79480	VLTD Not Activated

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेश दिया जाता है कि 10 दिनों के अन्दर समन की राशि अचूक रूप से जमा करें अन्यथा दिनांक 31.07.2023 को आपके वाहन का **परमिट रद्द कर** टाईम स्लॉट अन्य आवेदकों को आवंटित कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।